[1]प्ररूप सं. 9क

[नियम 17(1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन दिए जाने वाले विकल्प हेतु आवेदन।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

मैं, ... (न्यास/संस्था/संगम का नाम) की ओर से .... स्थायी लेखा संख्या (पैन) .... आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के *स्पष्टीकरण* के खंड (*2*) में निर्दिष्ट .... रुपए की रकम, (ब्यौरे नीचे अ में दिए गए हैं) पूर्ववर्ती वर्ष 20....20.... के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त समझी जाने वाली आय, नीचे अ में वर्णित कारणों के लिए विकल्प देना चाहता हूं।

अ. इस संबंध में आय के ब्यौरे निम्नलिखित हैंः

(*i*) ऊपर वर्णित पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यास के अधीन धारित/न्यास के अधीन भागतः धारित संपत्ति से प्राप्त आय की रकम : रुपए ....

(*ii*) (*i*) (आय की रकम में से), भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए वास्तव में अनुप्रयुक्त : रुपए ....

(*iii*) (*ii*) में निर्दिष्ट आय की रकम, जो (*i*) में निर्दिष्ट आय से 85% कम पड़ती हो : रुपए ....

(*iv*) आय की रकम, जिसके संबंध में विकल्प दिया जा रहा हैः रुपए ....

आ. आय के अनुप्रयोग में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :--

(*क*) यदि आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी? हां/नहीं।

यदि हां, तो आय की रकम, जो प्राप्त नहीं की गई थी : ....;

(*ख*) कोई अन्य कारण? हां/नहीं।

यदि हां, तो कारण और आय की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट करें :

क्रम सं.	कमी के कारण	आय की रकम

तारीख : ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

पता ....

टिप्पण :

1. ये विकल्प प्ररूप किसी न्यासी/प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
2. अनुचित शब्द हटाएं।

---

1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2016 द्वारा **1.4.2016** से अंतःस्थापित।